

20.7.21 - अधिवक्ता वादी के प्रापत्र पर
 पत्रावली आज पेशी पर ली गई। वादी
 एवं उपस्थित / वादी ने प्रापत्र प्रस्तुत
 कर निवेदन किया है कि पशुकारान्डे मध्य
 लोक न्यायालय की भावना से शर्जीनामा हो
 चुका है तथा वाद पत्र में किंगे कार्यवाही
 नहीं चाहते हैं। प्रापत्र वादी स्वीकार विदा
 जाकर वाद वादी जीयें किडंपल श्वा रिज
 फिदा जाना है। पत्रावली फंसल शुमार ठीकर
 डापिल इफ्तार हो। निर्णय शुजादा जपा।

अधी तैजाम



(वादी)

मेकमक

(वादी)

सहायक कलक्टर
 एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
 डेगाना (नागौर)

